पान मसाला उद्योग पर प्रस्तुतिकरण

राज्य कर विभाग

कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर

पृष्ठभूमि:-

- पान खाना व खिलाना भारतीय सभ्यता में प्राचीन काल से प्रचलित है।
- मुगल काल में पुर्तगालियों द्वारा तम्बाकू भारत में लाया गया।
- पान के साथ पान के पत्ते को छोड़कर अन्य मिलाई गई समस्त वस्तुएं को पान का मसाला कहा जाता है।
- बिना पान के पत्ते के पान-मसाला को पाउच/डिब्बे में पैक कर वितरण की सुविधा व कहीं भी उपयोग किये जाने की आवश्यकता से पान-मसाला उत्पादन वृहद उद्योग के रूप में स्थापित हुआ है।
- पान-मसाला उद्योग करापवंचन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।

पान-मसाला की परिभाषा:-

The Prevention of Food Adulteration Act-1954 के Appendix-30 के अनुसार पान-मसाला निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है-

" PAN Masala means the food generally taken as such or in conjunction with pan. It may contain Betelnut, lime, coconut, catechu, saffron, cardamom, dry fruits, mulaithi, sabermusa, other aeramatic herbs and spices, sugar, glycerene, glucose, permitted natural colours, menthol and non-prohibited flavours.

It shall be free from added coaltar colouring matter, artificial sweetness and any other ingredients injurious to health.

Central Excise Act-1944 के Chapter-21 के अनुसार पान-मसाला की परिभाषा अधोलिखित प्रकार से की गई है:-

Pan Masala means any preparation containing betelnuts and one or more of the following ingredient namely-

Lime, katha(catechu) & tobacco whether or not containing any other ingredient such as cardamom copra and menthol.

पान-मसाला का निर्माण:-

1- चरणबद्ध प्रक्रिया।

2- सुपाड़ी को टुकड़ो में तोड़कर उस पर कत्थे व चूने का घोल चढ़ाया जाता है।

3- पान-मसाला के अन्य रचकों को बारीक पीसकर कत्था पकाते समय उसे कत्था में ही मिलाकर पका लिया जाता है।

4- मिश्रण के अंतिम चरण में विशेष सुगंधियां तथा मैंथाल जो कि उड़नशील है, बाद में मिलाया जाता है।

5- मिश्रण की प्रक्रिया बालमिल से की जाती है, जिससे रचकों की सुगंध न उड़ सके। इसमें सुपाड़ियों को गरम करने के लिये हीटर की व्यवस्था होती है।

6- पम्प के माध्यम से टैंक में भरा हुआ कत्था चूना व अन्य रचकों का मिश्रित घोल फुहारों के माध्यम से सुपाड़ियों पर गिरता है और उनके चारों ओर यह मिश्रण चिपक जाता है तथा भँलीभाँति सूख जाने पर तैयार पान-मसाला को पैकिंग के लिये भेज दिया जाता है।

पैकिंग:-

- पान-मसाला की पैकिंग पाउचेज में किया जाता है तथा पाउच पैकिंग का कार्य विशेष मशीनों पर पूर्णतः स्वचालित ढ़ंग से पाउच पैकिंग मशीनों द्वारा किया जाता है।
- परिवहन के लिये निर्मित पान-मसाले की पैकिंग प्लास्टिक बोरी(HDPE) में की जाती है। एक बोरी में 4-5 पालीबैग HDPE के होते है तथा इनके अंदर पैकेट्स जिनमें लड़ी में पाउचेस होते है।
- प्रीमियम श्रेणी के पान-मसाले जिपर्स (एल्यूमीनियम फायल्स) में पैक किये जाते है।
- कुछ पान-मसाले टिन के डिब्बे में पैक किये जाते है जिन्हें परिवहन हेतु बड़े गत्ते/बाक्स में पैक किया जाता है।

पान-मसाला पर कर की दर:-

Food Safety and Standards Act के अनुसार पान-मसाला एक खाद्य पदार्थ है। इसमें तम्बाकू या अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं मिलाया जा सकता।

वर्तमान में पान-मसाला इकाईयों द्वारा मुख्य रूप से दो उत्पाद निर्मित किये जाते है-

1- पान मसाला

2- सेंटेड च्यूबुल टोबैको

Product	HSN CODE	GST	Cess
पान-मसाला	21069020	28 %	0.32 R/Unit
जर्दा सेंटेड टोबैको	24039930	28%	0.56 R/Unit

दिनांक 01.04.2023 के परिपत्र संख्या-2/2023 से compensation cess की दरों में परिवर्तन।

Calculation of Good and service tax compensation cess on Pan- Masala

Rate of goods and services tax compensation cess=0.32R/Unit;

If retail sale price of unit(Pouch) of pan-Masala=Rs 10.00;

Goods and service tax compensation cess leviable=0.32R=0.32*10= Rs.3.2 per unit (Pouch)".

पान-मसाला का कच्चा माल:-

1. प्रत्येक पान-मसाला निर्माता का अपना ब्रांड व अपना फार्मूला होता है।
2. **मुख्य घटक-** सुपाड़ी, कत्था, चूना, मुलैठी, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, केसर, अम्बर, छड़ीला, नागोद, मोथा, कपूर, क्लींजर, चम्पाती, मेंथाल, फ्रेगरेंस/इसेंस कम्पाउण्ड आदि।

- पान-मसाला में सुपाड़ी 80-85% तथा कत्था लगभग 5% एवं चूना लगभग 2% का प्रयोग होता है। शेष वस्तुएं पान-मसाला निर्माता अपने फार्मूले के हिसाब से प्रयोग में लाते है।
- सुपाड़ी का उत्पादन आसाम, पश्चिम बंगाल व दक्षिण भारत में होता है तथा इसका आयात श्रीलंका, इण्डोनेशिया व म्यांमार से भी किया जाता है। दक्षिण भारत से आने वाली सुपाड़ी नागपुर में डम्प की जाती है।
- कत्था खैर की लकडी से निकाला गया तत्व है और वर्तमान में खैर के कटान पर रोक होने के कारण कत्थे का निर्माण काजू हस्क/गैम्बियर से किया जाता है।

करापवंचन:-

- पान-मसाला उद्योग करापवंचन की दृष्टि से संवेदनशील है।
- पान-मसाला का मुख्य रचक सुपाड़ी का खरीदकर्ता पान-मसाला इकाईयों द्वारा लेखा-पुस्तकों के बाहर बिना बिल/ई-वे बिल/छोटे छोटे B2C बिलों के माध्यम से नगद खरीद की जाती है। फर्जी फर्मों के माध्यम से या प्रांत बाहर की फर्मों को बिक्री दिखाकर पान निर्माता इकाईयों को यहाँ सुपाड़ी की सप्लाई की जाती है।
- इसीप्रकार कत्था, अन्य घटक एवं मेंथाल व इसेंस आदि की खरीद लेखा-पुस्तकों के बाहर नगद खरीद करते हुए कच्चा माल प्राप्त किया जाता है।
- पैकिंग मैटेरियल/रैपर की अपवंचित/नगद खरीद कर अपवंचित निर्मित पान-मसाले की पैकिंग की जाती है।
- निर्मित पान-मसाला का निर्माता इकाईयों द्वारा लेखा-पुस्तकों में करापवंचन के उद्देश्य से सुविधानुसार उत्पादन एवं सप्लाई के आंकड़ो में समायोजन किया जाता है। पान-मसाला निर्माता द्वारा उसके मुख्य रचक सुपाड़ी, कत्था, चूना आदि के खपत को सही नहीं दिखा कर अपना उत्पादन छिपाया जाता है।
- एक ही ई-वे बिल के द्वारा बारम्बार प्रयोग कर करापवंचित सप्लाई किया जाना।
- करापवंचित सप्लाई हेतु डमी फर्म व छद्म ट्रांसपोर्ट के नाम का प्रयोग।
- भारी मात्रा में अवमूल्यन कर माल की सप्लाई करना।
- ट्रेडिंग डीलर फर्मों को छोटे-छोटे वाहनों के माध्यम से बिना बिल के अपवंचित सप्लाई करना।

जाँच हेतु चेक प्वाइंट:-

- रेकी व इंटेलीजेंस बेस्ड जांच जिसमें निर्माण स्थल पर उत्पादन के समय व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी एवं घोषित/अघोषित गोदामों की सूचना संकलित करना।
- कम्पनी की हार्ड डिस्क व अन्य जांच हेतु आई0टी0 एक्सपर्ट की आवश्यकता।
- गेट पर प्रवेश पर्चियाँ व इनवर्ड- आउटवर्ड संबंधी अभिलेख की जाँच।
- सुपाड़ी व कत्था के इनवर्ड बिल व वाहनों की टोल डाटा से जाँच।
- पैकिंग मैटैरियल से संबंधित सम्व्यवहारों के संबंध में वाहनो की बिल/ई-बिल/टोल डाटा से जाँच।
- फ्रेगरेंस/इसेंस कम्पाउण्ड व मेंथाल के खरीद बिलों की जाँच।
- कच्चा माल तथा फ्रेगरेंस/इसेंस कम्पाउण्ड व मेंथाल एवं पैकिंग मैटेरियल तथा स्टाक इन प्रोसेस/सेमी फिनीश्ड माल का भौतिक स्टाक तथा तैयार माल का भौतिक स्टाक ब्रांडवार, पैकिंगवार लिया जाना।
- ट्रेडिंग डीलर्स व डमी डीलर्स को जारी इनवाइसेस की जाँच तथा उनकी एक साथ स्थलीय जाँच।
- इकाई द्वारा जारी ई-वे बिल/बिल से संबंधित वाहनों की विभिन्न टोल प्लाजा डाटा से जाँच।
- माल के परिवहन में लगी विभिन्न ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की एक साथ स्थलीय जाँच व इनके अभिलेखों की जाँच।
- कच्चे माल की खपत के विभिन्न घटकों के अनुपात और उसके सापेक्ष उत्पादन की जाँच।

- विद्युत तथा जनरेटर सेट से पृथक-पृथक रूप से होने वाले उत्पादन विशेषकर जनरेटर में प्रति घंटा डीजल खपत व विद्युत विभाग से प्राप्त MRI LOAD तथा खपत की जाँच।
- लेबर विभाग से लेबर की संख्या व लेबर कान्ट्रेक्टर तथा अन्य माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की गणना तथा उनके आधार पर उत्पादन का आंकलन।
- पान-मसाला इकाई द्वारा उसके मुख्य घटक/पैकिंग मैटेरियल के वार्षिक खपत के आधार पर वार्षिक उत्पादन का आंकलन।
- निर्माता इकाईयों द्वारा वर्तमान में आटोमैटिक पाउच पैकिंग मशीनों द्वारा उत्पादन को देखते हुए एवं उनकी स्पीड को कम व अधिक किये जाने के कारण बंद मशीनों को स्टार्ट कर प्रति मिनट पैक पाउच की गिनती किया जाना।
- इकाई के उत्पादन के अनुमान हेतु इकाई में पाउच पैकिंग मशीन की संख्या तथा प्रत्येक पाउच पैकिंग मशीन की क्षमता तथा प्रत्येक प्रकार के पाउच मशीन एवं उनके पाउच प्रति मिनट उत्पादन निकाल कर शिफ्ट और कार्यदिवस के आधार पर वार्षिक उत्पादन का आंकलन किया जाना।
- माल के मूल्यांकन हेतु इनवर्ड व आउटवर्ड सप्लाई के इनवाइसेस की प्रतियाँ और उनके एमआरपी संबंधी जानकारी प्राप्त करना।
- फिनिस्ड माल के मूल्यांकन हेतु माल के ब्रांड, एमआरपी की जानकारी प्राप्त करना।

चेतावनीः- पान-मसाला/तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

धन्यवाद!

राज्य कर विभाग,

कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर